एन.आर. कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

बनाम

श्री राम बदन सिंह व अन्य,

9 अक्टूबर, 2007

[तरुण चटर्जी और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-ओ. XXI, नियम 18 और 19- प्रयोज्यता-क्रॉस अवॉर्ड के समायोजन के लिए-माना गया कि नियम 18 और 19 लागू नहीं हैं क्योंकि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो अवॉर्ड के संबंध में था-यह पक्षों के बीच धन के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए नहीं था जिसके तहत दो पक्ष धनराशि वसूलने के हकदार हैं - साथ ही अंतरिम अवॉर्ड और अंतिम अवॉर्ड के संबंध में आपत्ति याचिका को सर्वोच्च न्यायालय सहित निचली अदालतों ने खारिज कर दिया था।

इस अपील में विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI नियम 18 और 19 के प्रावधान अपीलकर्ता द्वारा दावा किए गए क्रॉस-अवार्ड के समायोजन के मामले में लागू होते हैं।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने

निर्णय : 1.1. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXI के नियम 18 और 19 को मात्र पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नियम 18 उस मामले में लागू होता है जहां एक ही पक्षकारों के बीच पारित दो धनराशियों के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाता है और नियम 19 उस मामले में लागू होता है जहां न्यायालय में एक डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है जिसके तहत दो पक्ष धनराशि वसूलने के हकदार हैं। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा कि न तो पक्षों के बीच धन के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है और न ही आवेदन एक डिक्री के निष्पादन के लिए है जिसमें पक्षकार एक दूसरे से धनराशि वसूलने के हकदार हैं।

अन्य । प्रस्तुत विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस प्रकार सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। [पैरा 9] [797-ए, बी, सी, डी]

1.2. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका में अंतरिम पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार के बारे में मुद्दा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था जिसे खारिज कर दिया गया था और दायर अपील भी उच्च न्यायालय के हाथों उसी परिणाम को प्राप्त हुई। इस न्यायालय ने भी ब्याज की दर को छोड़कर उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। इन सामग्रियों और इस न्यायालय सहित पहले के आदेशों और 19.04.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों में विभिन्न धाराओं के प्रकाश में, अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपित आदेश द्वारा उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। दोनों निष्पादन मामलों में प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरणों के आधार पर निष्कर्ष के मद्देनजर, निचले न्यायालयों के निष्कर्षों से सहमति है। [पैरा 9 और 10] [797-डी, ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4737/ 2007.

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के सी.आर. संख्या 65/2006 के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.07.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से डॉ. आर.जी. पाडिया , अभिषेक सिंह और प्रवीण अग्रवाल ।

प्रतिवादियों की ओर से भास्कर पी. गुप्ता, आशीष वर्मा , के. दत्ता और के.वी. मोहन।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

पी. सदाशिवम, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील झारखंड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा सीआर संख्या 65/2006 में पारित दिनांक 19.07.2006 के निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है , जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.06.2006 के आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा दायर सिविल रिवीजन को खारिज कर दिया था।

अधीनस्थ न्यायाधीश-I, बोकारो ने निष्पादन वाद संख्या 2/2001 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 18 और 19 के प्रावधानों के तहत क्रॉस-अवार्ड के समायोजन के लिए अपीलकर्ता की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

3. इस अपील में अन्य बातों के साथ-साथ एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या सी.पी.सी. के आदेश XXI नियम 18 और 19 के प्रावधान क्रॉस-अवॉर्ड के समायोजन के मामले में लागू होते हैं, जैसा कि अपीलकर्ता ने दावा किया है?

4. अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों के साथ साझेदारी की और 14.04.1992 को साझेदारी विलेख निष्पादित किया गया। साझेदारी का उद्देश्य कुछ अनुबंध कार्य को पूरा करना था जिसे अपीलकर्ता ने प्राप्त किया था। समझौते की शर्तों में से एक में मध्यस्थता का प्रावधान था, अर्थात - "यदि भागीदारों के बीच कोई विवाद होता है, तो उसे भागीदारों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ/मध्यस्थों को भेजा जा सकता है जो भारतीय मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नामों का फैसला करेंगे, यदि अन्यथा भागीदारों द्वारा आपसी सहमति से निपटारा नहीं किया जाता है।"

5. चूंकि वर्ष 1995 में साझेदारों के बीच उत्पन्न विवादों का आपसी समझौते से निपटारा नहीं हो सका और काम पूरा नहीं हो सका, इसलिए साझेदारों ने आपसी सहमति से चार व्यक्तियों को मध्यस्थ नियुक्त किया। 19.04.1997 को मध्यस्थों ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। इस बात का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है कि यह फैसला अंतरिम फैसला है या अंतिम फैसला। अपीलकर्ता के अनुसार, 19.04.1997 के फैसले पर पक्षों ने कार्रवाई की और किसी ने भी इसे चुनौती नहीं दी। इसके बाद मध्यस्थों ने विभिन्न फैसले पारित किए। यह विवाद में नहीं है कि 19.4.1997 के बाद पारित किए गए उन फैसलों में से किसी को भी किसी पक्ष ने चुनौती नहीं दी। अंत में 25.11.2000 को मध्यस्थों ने फैसला सुनाया। अपीलकर्ता के अनुसार, इस निर्णय में यह नहीं बताया गया कि पूर्व के निर्णयों और विशेषकर 19.4.1997 के निर्णय में शामिल मुद्दों को अंतिम निर्णय में शामिल किया जाना है या नहीं।

6. यहां अपीलकर्ता ने दिनांक 25.11.2000 के पुरस्कार से व्यथित होकर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 34 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादियों ने इसके प्रवर्तन के लिए निष्पादन मामला संख्या 2/2001 दायर किया।

दिनांक 25.11.2000 का अवार्ड। दिनांक 27.6.2003 के आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 1.7.2003 को, अपीलकर्ता ने दिनांक 19.4.1997 के अवार्ड को लागू करने के लिए निष्पादन वाद संख्या 5/2003 दायर किया। अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन को खारिज किए जाने के खिलाफ, 26.8.2003 को, अपीलकर्ता ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अपील संख्या 6/2001 दायर की। दिनांक 29.4.2004 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा 10.1.2005 को ब्याज की दर के संबंध में संशोधन के साथ खारिज कर दी गई थी।

7. प्रतिवादियों ने निष्पादन वाद संख्या 5/2003 में सीपीसी की धारा 47 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज कराई। उक्त आपत्ति को विविध वाद संख्या 7/2005 के रूप में क्रमांकित किया गया। निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों का मामला यह था कि 19.04.1997 का तथाकथित निर्णय कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मध्यस्थों के एक अनंतिम निर्देश के अलावा और कुछ नहीं था और इसे अंतरिम निर्णय नहीं माना जा सकता और यह मध्यस्थ निर्णय के रूप में लागू करने योग्य नहीं था। 19.04.1997 के निर्णय में दिए गए सभी निर्देश 25.11.2000 के निर्णय में सम्मिलित हो गए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद निष्पादन न्यायालय ने 27.5.2005 के आदेश द्वारा विविध वाद संख्या 7/2005 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अंतरिम निर्णय निष्पादन योग्य नहीं था। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने सी . आर . संख्या 75/2005। यद्यपि सिविल रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन आज तक निष्पादन पर कोई स्थगन नहीं दिया गया है। इसके बाद, अपीलकर्ता ने राशि के समायोजन और राशि की पूर्ण संतुष्टि को रिकॉर्ड करने के लिए निष्पादन मामले संख्या 2/2001 में अधिनियम की धारा 36 के साथ सीपीसी के आदेश XXI नियम 18 और 19 के तहत एक आवेदन दायर किया। 28.6.2006 के आदेश द्वारा, निष्पादन न्यायालय ने यह पाते हुए कि आदेश XXI नियम 18 और 19 के तहत क्रॉस-डिक्री का प्रश्न अनुरक्षणीय नहीं है, उक्त आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, अपीलकर्ता ने रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 के सीआर संख्या 65 को प्राथमिकता दी। 19.07.2006 के आपत्तिजनक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिवीजन को खारिज कर दिया। इसलिए ,

8. हमने अपीलकर्ता की ओर से अपील करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आर.जी. पाडिया और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भास्कर पी. गुप्ता को सुना है।

प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए ।

9. हालांकि दोनों पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 19.4.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों और सीपीसी के आदेश XXI नियम 18 और 19 की प्रयोज्यता के बारे में विस्तृत दलीलें दीं, लेकिन यहां पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर हमारा मानना है कि इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रतिद्वंद्वी दावे को समझने के लिए, आदेश XXI नियम 18 और 19 का संदर्भ लेना उपयोगी है जो इस प्रकार है:

"नियम 18. प्रति-डिक्री के मामले में निष्पादन- (1) जहां एक ही पक्षकारों के बीच पारित दो धनराशियों के संदाय के लिए पृथक वादों में प्रति-डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किए जाते हैं और ऐसे न्यायालय द्वारा एक ही समय में निष्पादित किए जा सकते हैं, वहां -

(a) यदि दोनों राशियाँ बराबर हों, तो दोनों आदेशों पर संतुष्टि दर्ज की जाएगी; तथा

(b) यदि दोनों राशियां असमान हों तो निष्पादन केवल डिक्री के धारक द्वारा बड़ी राशि के लिए और केवल उतनी राशि के लिए किया जा सकेगा जो छोटी राशि काटने के बाद शेष बचे, और छोटी राशि के लिए संतुष्टि बड़ी राशि के लिए डिक्री पर और साथ ही छोटी राशि के लिए डिक्री पर संतुष्टि दर्ज की जाएगी।

(2).....
(3).....
(4) ....."

"नियम 19. एक ही डिक्री के तहत क्रॉस-दावों के मामले में निष्पादन

- जहां किसी डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाता है जिसके अंतर्गत दो पक्षकार एक दूसरे से धनराशि वसूल करने के हकदार हैं, वहां -

(क) यदि दोनों राशियाँ समान हैं, तो दोनों के लिए संतुष्टि दर्ज की जाएगी
डिक्री पर ; और

(ख) यदि दोनों राशियाँ असमान हों, तो केवल बड़ी राशि के हकदार पक्षकार द्वारा ही निष्पादन किया जा सकेगा और केवल उतनी राशि के लिए जो छोटी राशि काटने के बाद शेष बचेगी, तथा छोटी राशि के लिए संतुष्टि डिक्री में दर्ज की जाएगी।"

दोनों विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उचित रूप से स्वीकार किया कि नियम 18 इस मामले पर लागू नहीं होता। उपर्युक्त नियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नियम 18 उस मामले में लागू होता है, जहां एक ही पक्ष के बीच पारित दो धनराशियों के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए न्यायालय में आवेदन किया जाता है और नियम 19 उस मामले में लागू होता है, जहां न्यायालय में एक डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है, जिसके तहत दो पक्ष धनराशियों की वसूली के हकदार होते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही रूप से देखा है, इस मामले में, न तो पक्षों के बीच धन के भुगतान के लिए अलग-अलग मुकदमों में क्रॉस-डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया गया है और न ही आवेदन एक डिक्री के निष्पादन के लिए है, जिसमें पक्ष एक-दूसरे से धनराशियों की वसूली के हकदार होते हैं। हमारी राय में, इस मामले में, प्रस्तुत विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदन एक ही मध्यस्थता मामले में दो पुरस्कारों के संबंध में थे और इस प्रकार सीपीसी के आदेश XXI के नियम 18 और 19 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आपत्ति याचिका में अंतरिम पुरस्कार और अंतिम पुरस्कार के बारे में मुद्दा अधीनस्थ न्यायालय, बोकारो के समक्ष विचार के लिए आया था । उक्त आपत्ति याचिका 27.6.2003 को खारिज कर दी गई थी और प्रस्तुत अपील का भी झारखंड उच्च न्यायालय के हाथों वही नतीजा निकला। इस न्यायालय ने भी ब्याज दर को छोड़कर उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि की। इन सामग्रियों और इस न्यायालय सहित पहले के आदेशों और 19.04.1997 और 25.11.2000 के पुरस्कारों में विभिन्न धाराओं के प्रकाश में, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने आरोपित आदेश द्वारा उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

10.दोनों निष्पादन मामलों में प्रस्तुत तथ्यात्मक विवरणों के आधार पर निष्कर्ष के मद्देनजर, निचली अदालतों के उक्त निष्कर्ष से सहमत होते हुए, हमारा विचार है कि दोनों पक्षों द्वारा भरोसा किए गए विभिन्न निर्णयों को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, हम उक्त निष्कर्ष से सहमत हैं।

11.उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे. अपील खारिज.

यह अनुवाद लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।